भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1072

बुधवार, 27 नवम्बर, 2019/6 अग्रहायण, 1941 (शक

कार्यावधि को बढ़ाया जाना

1072. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में,श्रमिकों की कार्यावधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों को एक प्रस्तावित प्रारूप परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है;

(ग) क्या आधुनिक समय के अत्यधिक कार्य भार के तनाव और निराशा के कारण कामगारों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने के मद्देनजर सरकार का ऐसा कदम उपयुक्त होगा; और

(घ) क्या सरकार मानव क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसी अन्य पद्धति पर विचार कर रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): मजदूरी संहिता अधिनियम, 2019 के अंतर्गत प्रारम्भिक प्रारूप नियमों को दिनांक 01.11.2019 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसमें जनसाधारण सहित सभी हितधारकों से नियमों के विभिन्न उपबंधों के संबंध में टिप्पणियां मांगी गई है। प्रस्तावित (केन्द्रीय) मजदूरी नियमावली में 9 घंटे कार्य वाले कार्य दिवस का प्रावधान मौजूद है और उस कार्य दिवस को विश्राम के लिए अवकाश, यदि हो, सहित इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि उसमें किसी भी दिवस को 12 घंटों से अधिक तक विस्तारित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 की मौजूदा धारा 24 के अनुसार है।

******